



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-549

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309010 दिनांक 29/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Meena Sakuniya W/o Mahesh Kumar Sakuniya	श्रीमती मधु भगेरिया पत्नी श्री मोहित भगेरिया	48	252.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-B	Name Transfer	श्रीमती मीना साकुनियाँ पत्नी श्री महेश कुमार साकुनिया द्वारा जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-48 क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर का नाम हस्तान्तरण चाहने हेतु आवेदन किया गया है। जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-48 क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 11.09.2023 को श्रीमती मधु भगेरिया पत्नी श्री मोहित भगेरिया के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात श्रीमती मधु भगेरिया द्वारा सराफ रियल टेक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

डवलपर्स प्रा0लि0
जरिये निदेशक श्री
विवेक सराफ पुत्र
श्री कालीचरण
सराफ को जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
11.09.2023 के
द्वारा उक्त
भूखण्ड का बेचान
किया गया है।
तत्पश्चात सराफ
रियल टेक
डवलपर्स प्रा0लि0
जरिये निदेशक श्री
विवेक सराफ पुत्र
श्री कालीचरण
सराफ द्वारा
श्रीमती मीना
साकुनियाँ पत्नी
श्री महेश कुमार
साकुनिया से
रजिस्टर्ड
इकरारनामा
दिनांक
04.06.2026 को
किया गया तथा
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
05.06.2026 के
द्वारा बेचान किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Meena Sakuniya W/o Mahesh Kumar Sakuniya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।